माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण,

पूर्वी क्षेत्र पीठ के समक्ष, (कोलकाता)

मूल आवेदन संख्या - 107/2025

(पूर्व मूल आवेदन संख्या 206/2025 मुख्य बेंच, नई दिल्ली) के मामले में:

मंटू सोनी.....**आवेदक**

दिनांक 06/12/2025

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य.....**प्रतिवादी**

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (कोलकाता) मूल आवेदन संख्या 107/2025 के मामले में माननीय न्यायाधिकरण के दिनांक 17.09.2025 के आदेश के आलोक में FINAL HEARING के लिए WRITEN ARGUMENT के संबंध में।

अनुक्रमणिका

कंडिका	संबंधित विषय का विवरण
1	प्रारंभिक तथ्य एवं पृष्ठभूमि
2	वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का महत्व और अनुपालन
3	FC एक्ट एवं EC एक्ट के बीच विधिक और उद्देश्यक अंतर
4 एवं 4(5)	FC शर्त के उल्लंघन में EC शर्त से भ्रामक बचाव कारण और EC शर्त का भी दुरुपयोग करना एवं (FC शर्त में EC शर्त लागू नहीं होने से संबंधित मंत्रालय का अभिलेख नहीं होने की पुष्टि FINAL argument के कंडिका 4(5) में वर्णित एवं संलग्न (अनुलग्नक 1)

5	FC शर्त 9 के उल्लंघन की पुष्टि का जांच रिपोर्ट
6	FC शर्त 09 से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख माननीय न्यायाधिकरण से छुपाना एवं विभिन्न भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करना ।
7	वन्य जीव प्रबंधन स्थिति,जानमाल का नुकसान एवं परिवास
8	प्रतिवादियों द्वारा FC और EC के अन्य शर्तों का उल्लंघन
9	**NGT OA no 61/2019(EZ)** आदेश और SC में अपील
10	सुप्रीम कोर्ट C A no 6249/2021 आदेश अनुपालन पूर्ण
11	सुप्रीम कोर्ट को Mis A no 1824/2023 में गुमराह करना
12	सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद भी प्रतिवादियों द्वारा **EC/FC शर्त का उल्लंघन और दुरुपयोग ।**
13	सुप्रीम कोर्ट से FC शर्त 9 एवं वन्य जीव प्रबंधन/सुरक्षा को छुपाना, गुमराह करना एवं वन्य/मानव जीवों का क्षति
14	प्रतिवादी 04 पर FC एक्ट के तहत **दायर वनवाद का जवाब प्रतिवादियों द्वारा हलफनामा में माननीय न्यायाधिकरण** को नहीं देना एवं प्रतिवादी 03 से सांठगांठ
15	प्रतिवादियों द्वारा **सड़क से कोयला परिवहन में गड़बड़ी और उनके द्वारा आपसी निजी लाभ** का कारण
16	अदालतों में साक्ष्यों,तथ्यों को छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट आदेश
17	प्रतिवादी 03 और 04 के साठगांठ का **C.I.D REPORT**
18	प्रतिवादियों द्वारा कानून,शर्तों और आदेशों का उल्लंघन
19	माननीय NGT(EZ) न्यायाधिकार से **प्रार्थनाएं/अनुरोध**

मनु सोनी उर्फ शशिकान्त

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण,

पूर्वी क्षेत्र पीठ के समक्ष, (कोलकाता)

मूल आवेदन संख्या - 107/2025

(पूर्व मूल आवेदन संख्या 206/2025 मुख्य बेंच, नई दिल्ली) के मामले में:

मंटू सोनी.....**आवेदक**

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य.....**प्रतिवादी**

दिनांक 06.12.2025

माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (कोलकाता) मूल आवेदन संख्या 107/2025 के मामले में माननीय न्यायाधिकरण के दिनांक 17.09.2025 के आदेश के आलोक में FINAL HEARING के लिए WRITEN ARGUMENT के संबंध में।

माननीय न्यायाधिकरण महोदय,

सादर निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित मामले में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 17.09.2025 को जारी आदेशानुसार अंतिम सुनवाई की तिथि सुनिश्चित कर दी गई है। उक्त अंतिम सुनवाई के लिए आवेदक द्वारा अपना लिखित तर्क संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है।यह लिखित तर्क इस मामले के सभी तथ्य, पर्यावरणीय एवं कानूनी आयामों को स्पष्ट करते हुए, संबंधित प्रावधानों, पूर्व विधिक निर्णयों तथा प्रमाणों के संक्षिप्त और प्रभावशाली आकलन पर आधारित है।आवेदक के पृष्ठभूमि और विधिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है जिससे न्यायाधिकरण के संज्ञान में विषय की समस्त महत्वपूर्ण बिंदु उचित रूप से आ सकें और न्यायपूर्ण निर्णय हो सके।अतः, कृपया इस दस्तावेज़ को अंतिम सुनवाई में संज्ञान में लेते हुए उचित मान्यता प्रदान करने की कृपा करें।

1.प्रारंभिक तथ्य एवं पृष्ठभूमि

- आवेदक मंटू सोनी उर्फ शनि कांत,पिता श्री राजेश कुमार,ग्राम+पोस्ट बड़कागांव,जिला,हजारीबाग,(झारखंड)ने संविधान के अनुच्छेद 51 (A)(g) में निहित पर्यावरण संरक्षण के कर्तव्य एवं अधिकार के अंतर्गत इस याचिका को प्रस्तुत किया है।
- दिनांक 23.01.2025 को माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष मुख्य आवेदन दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन को दिनांक 08.05.2025 के आदेश द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय पीठ, कोलकाता को स्थानांतरित किया गया।
- स्थानांतरण के पश्चात्, प्रतिवादी संख्या 04, NTPC Ltd. ने दिनांक 14.07.2025 को हलफनामा प्रस्तुत किया, और प्रतिवादी संख्या 03 (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड) तथा प्रतिवादी संख्या 06 (वन्य जीव प्रतिपालक, रांची, झारखंड) ने दिनांक 22.07.2025 को हलफनामा दाखिल किया। इसके उपरांत, आवेदक द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 24.07.2025 के आलोक में उक्त प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्त लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।
- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC) द्वारा Forest Clearance स्टेज 2 के अंतर्गत जारी F.No. 8-56/2009-FC की शर्त संख्या 9 जो स्पष्ट रूप से वन्य जीवों विशेषकर हाथियों के आवागमन के लिए कन्वेयर सिस्टम द्वारा कोयला परिवहन को अनिवार्य करती है। इस शर्त में किसी भी कारण एवं किसी भी प्रकार के सड़क मार्ग द्वारा कोयला परिवहन की अनुमति नहीं दी गई है।
- प्रतिवादी 04,NTPC Ltd. ने निजी स्वार्थ और पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस स्पष्ट शर्त का उल्लंघन करते हुए सड़क मार्ग एवं कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन किया किया जा रहा है,जो कि दी गई (FC) स्वीकृति के विरुद्ध है।
- इस अवैध गतिविधि के कारण अभी तक दर्जनों आम नागरिकों को जान-माल का गंभीर नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचित एक से लेकर चार तक अति संरक्षित, संरक्षित एवं सामान्य वन्य जीवों का प्राकृतिक आवागमन बाधित हुआ है एवं प्राकृतिक परिवास में दखलंदाजी हुई है । जिससे वन्य जीव मानवीय आबादी में प्रवेश करने लगे हैं, जिसके कारण मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को व्यापक हानि हो रही है।

- प्रतिवादियों द्वारा Environmental Clearance (EC) हेतु प्रदत्त दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 के Office Memorandum का अनुचित दुरुपयोग कर Forest Clearance की शर्तों में छूट/संशोधन प्राप्त किया जाना न केवल कानूनन अनुचित है, बल्कि इससे पर्यावरण एवं वन संरक्षण के मानकों का उल्लंघन हुआ है।
- आवेदक इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि Forest Clearance और Environmental Clearance दो स्वतंत्र एवं विभिन्न कानूनी नियमावली हैं, जिनके पालन के लिए अलग-अलग मानक बनाए गए हैं, और दोनों के बीच छूट या संशोधन का दुरुपयोग पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक है।

2.वन संरक्षण अधिनियम (Forest Conservation Act) 1980 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का महत्व और अनुपालन

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य वनभूमि का संरक्षण और प्रबंधन है ताकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी एवं उसके परिवास संरक्षित रहे । इस अधिनियम के अंतर्गत वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कटाई, परिवहन, विकास कार्य आदि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के अधीन रखा गया है ।
- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्यजीवों के संरक्षण और उनके परिवास की सुरक्षा करता है। इसका **वन संरक्षण अधिनियम में समावेश विशेष रूप से तब होता है जब वन्य जीवों के आवागमन या परिवास प्रभावित हो सकते हैं। FC की शर्तों में वन्य जीवों के संरक्षण की अनिवार्य शर्तें शामिल की जाती हैं,ताकि उसके परिवास में आवागमन को बरकरार रखा जा सके,जैसे कि कन्वेयर सिस्टम की ऊंचाई और चौड़ाई इस प्रकार हो कि हाथी और अन्य बड़े वन्य जीव का आवागमन और प्रास्थितिकी बाधित न** हों।
- अनुपालन में यह आवश्यक है कि FC के तहत वन्य जीव संरक्षण की सारी शर्तों का सख्ती से पालन हो, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवागमन में बाधा न आए और उनके पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा न हो। यह कानूनी जिम्मेदारी वन विभाग और परियोजना प्रबंधन संस्थाओं की होती है।

3.वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दी गई फॉरेस्ट क्लियरेंस (FC) और पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के बीच कानूनी, विधिक और उद्देश्यगत अंतर ।

- **वन संरक्षण अधिनियम (FC) 1980 के तहत वन स्वीकृति (FC)** - वनभूमि की उपयोगिता और वन संरक्षण के सीधे प्रावधानों पर केंद्रित है। FC वन क्षेत्र की कटाई, अधिग्रहण और उपयोग को नियंत्रित करता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुरूप वन्य जीवों के परिवास व आवागमन की सुरक्षा करता है ।
- **वन स्वीकृति (FC) का उद्देश्य**: वन भूमि का संरक्षण सुनिश्चित करना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के साथ एकीकृत, विशेषकर वन्यजीव आवागमन/परिवास प्रभावित होने पर केंद्रित करना है **उदाहरणस्वरूप** : प्रतिवादी 04 को FC स्टेज-2 (F.No. 8-56/2009-FC, शर्त 9) में "कन्वेयर की ऊँचाई शर्त के अनुसार 6 मीटर ऊंचा रखना है ताकि हाथी सहित अन्य सभी वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान हो सके तथा उनका सामान्य आवागमन प्रभावित न हो । यह शर्त वन्य जीवों के सुरक्षा एवं सुगम आवागमन पर केंद्रित है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति (EC)** झारखंड सहित पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दी जाती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर किसी परियोजना के व्यापक प्रभावों का परीक्षण करना है, जैसे वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण, और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव। EC के अंतर्गत नीतिगत, तकनीकी तथा पर्यावरणीय प्रबंधन की व्यापक शर्तें होती हैं ।
- **पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) का उद्देश्य**: परियोजना के व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव (वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण, सामाजिक प्रभाव) का आकलन होता है और यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 पर प्रभावी नहीं होता है । उदाहरणस्वरूप सामान्य पर्यावरण प्रबंधन.जैसे प्रतिवादी 04 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को प्राप्त हुए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) में संशोधन मिला है। जो FC के तहत लगाए गए अनिवार्य शर्त 09 के उल्लंघन के लिए लागू नहीं होता है।
- EC की शर्तें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी शर्तों को विकृत या प्रतिस्थापित नहीं कर सकतीं। उदाहरणार्थ, FC की शर्त संख्या 9 में वन्य जीव संरक्षण की विशेष शर्तें हैं जो EC के प्रावधानों से भिन्न और अनिवार्य शर्त हैं। EC का 10वां संशोधन यह स्पष्ट करता है कि EC की शर्तें FC के प्रावधानों के प्रभुत्व को प्रभावित नहीं करतीं।
- कानूनन, EC किसी परियोजना के पर्यावरणीय (वायु, जल, ध्वनि, सामाजिक) पहलुओं को नियंत्रित करती है जबकि FC वन भूमि एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए अनिवार्य अनुमति और शर्तों का पालन सुनिश्चत करती है। दोनों की शर्तों को पूर्णतः स्वतंत्र और अलग-अलग अनुपालन की आवश्यकता होती है ।

- **संक्षेप में निष्कर्ष -** FC वन भूमि और वन्य जीव परिवास के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु कड़ा नियंत्रण निर्धारित करता है।वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शर्तें FC के अंतर्गत

वन्य जीवों के आवागमन की रक्षा हेतु अनिवार्य हैं। **EC व्यापक रूप से पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है, लेकिन FC की शर्तों का प्रतिस्थापन नहीं करता।दोनों अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के समग्र उद्देश्य के पूरक हैं, किन्तु अपने-अपने कानूनी दायरे और अनुपालन मानकों के साथ है । इस प्रकार, FC में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का महत्व अत्यंत आवश्यक है, जिसका अनुपालन परियोजना की कानूनी वैधता और सामाजिक-परिवेशीय संतुलन के लिए अनिवार्य है**, वहीं EC इसकी पर्यावरणीय सीमा में सहयोगी भूमिका निभाती है। FC वन भूमि विशेष, वन्यजीव-विशेष (Wildlife Protection Act 1972 सम्मिलित है। EC समग्र पर्यावरण **EC संशोधन FC शर्तों को ओवरराइड नहीं करते** हैं। FC वन एवं वन्यजीव-केंद्रित संरक्षणीय कानून है वहीं EC प्रदूषण-प्रबंधकीय कानून है। दोनों पूरक, किंतु परस्पर प्रतिस्थापनीय नहीं है । **प्रतिवादी 04 NTPC के मामले में EC संशोधन कर दुरुपयोग FC शर्त का उल्लंघन सिद्ध करता है। क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दी गई फॉरेस्ट क्लियरेंस (FC) और पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) दो अलग-अलग अनिवार्य शर्तों के तहत अलग अलग परियोजनों के लिए दी गई अनुमतियां हैं, जिनका अनुपालन पृथक रूप से आवश्यक है। EC के शर्तों में संशोधन लेकर EC के उल्लंघन/दुरुपयोग के साथ-साथ FC के शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन निजी लाभ के लिए निर्मतता से किया जा रहा है।**

4. प्रतिवादी 03.04, एवं 06 द्वारा FC मंजूरी स्टेज 2 के अनिवार्य शर्त 09 के उल्लंघन के लिए EC के शर्त संशोधन से बचाव करना एवं माननीय न्यायाधिकरण को भ्रमित कर EC शर्त के तथ्य को छुपाना एवं EC शर्त संशोधन का भी दुरुपयोग कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करना ।

1. वन मंजूरी (FC) स्टेज 2 मंजूरी के अनिवार्य शर्त संख्या 09 का विवरण/उद्देश्य :- झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के बड़कागांव में स्थित एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.09.2010 को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्टेज 2 वन मंजूरी (F.No 8-56/2009-FC) प्रदान की गई है।मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.05.2010 को वन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रिंसिपल अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसे राज्य सरकार ने निर्धारित शर्तों के अनुपालन की सूचना दी और अंतिम स्वीकृति के लिए सहमति प्रदान किया।

- **विशेष रूप से शर्त संख्या 09 का विवरण:**शर्त संख्या 09 के अनुसार कोयला निकासी के लिए एक उच्च गति वाली, 20 मीटर चौड़ी,6 मीटर ऊंचाई वाली कन्वेयर प्रणाली स्थापित की जाए, जिसकी ऊँचाई इतनी हो कि **हाथियों सहित अन्य सभी ऊँचे वन्य जीवों का सुगम आवागमन** संभव हो एवं कन्वेयर प्रणाली के निर्माणकार्य एवं संचालन की निगरानी राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक (CWLW/राज्य वन विभाग द्वारा की जाएगी।
- **शर्त की व्याख्या और प्रासंगिकता:** इस शर्त में न तो सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की कोई अनुमति है और न ही लोडिंग की क्षमता अथवा संचालन संबंधी किसी मानक का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि सड़क मार्ग से कोयला परिवहन पर कोई छूट नहीं है।
- **उपरोक्त शर्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्पष्ट रूप से लागू हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के प्रावधानों के अनुरूप भी हैं, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य वन्य जीवों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना है।

(आवेदक के प्रतिउत्तर के अनुलग्नक 02 A संलग्न)

2.माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादियों ने FC शर्त के उल्लंघन का बचाव EC शर्त संशोधन से किया :- यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (EZ) कोलकाता के वाद संख्या OA no - 107/2025 में प्रतिवादी 03 एवं 06 की ओर से वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मौन प्रकाश पश्चिमी वन प्रमंडल,हजारीबाग के हलफनामा के **कंडिका 13 एवं 14 एवं प्रतिवादी संख्या 04 के श्री वीरेंद्र कुमार ने अपने हलफनामा के कंडिका H** में वन मंजूरी (FC) शर्त संख्या 09 के उल्लंघन से बचाव में यह तर्क/तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान में प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को प्राप्त हुए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) में संशोधन लेकर किया जा रहा है जिसमें अब तक 10 वीं संशोधन लिया गया है। जो माननीय न्यायालय को भ्रमित करने की कार्रवाई है । उक्त शर्त में निम्नवत उल्लेखित है ।

- **The main haul road of 6 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall be developed along the main approach roads and haul roads. Mineral transportation_from.CHP to Railway siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System.**

- (किसी प्रकार के सड़क या कन्वेयर की लोडिंग क्षमता या सुचारू रूप से संचालन का पैमाना का जिक्र नहीं है, जिससे सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने की अनुमति मिल सके)

3.माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादियों ने EC शर्त संशोधन के कंडिका 5 के तथ्यों को छुपाया :- यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (EZ) कोलकाता के वाद संख्या OA no - 107/2025 में प्रतिवादी 03 एवं 06 की ओर से वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मौन प्रकाश पश्चिमी वन प्रमंडल,हजारीबाग के हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 एवं प्रतिवादी संख्या 04 के श्री वीरेंद्र कुमार ने अपने हलफनामा के कंडिका H में वन मंजूरी (FC) शर्त संख्या 09 के उल्लंघन से बचाव में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को प्राप्त हुए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) में संशोधन के हवाले सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करना बताया है । लेकिन उक्त शर्त के कंडिका 5 में यह स्पष्टता से वर्णित है कि **The above conditions shall be governed by, among others, the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.**

- यह कंडिका वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लेख नहीं करती, जिससे स्पष्ट होता है कि EC की ये शर्तें वन संरक्षण अधिनियम की शर्तों पर प्रभावी नहीं हैं या उन पर लागू नहीं होती है।भारतीय विधि में पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी की जाती है, जबकि वन स्वीकृति (FC) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अलग से प्राप्त करनी पड़ती है। जो वन्य जीव संरक्षण 1972 से जोड़ती है ।
- अतः, प्रतिवादी का यह कृत्य निज स्वार्थ के लिए माननीय न्यायाधिकरण से तथ्य छिपाना एवं पर्यावरणीय न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना है, जो न केवल वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य के विरुद्ध है, बल्कि यह न्यायालय द्वारा कठोर अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक उपायों के अंतर्गत आता है, जिससे पर्यावरणीय नियमों के प्रभावी पालन और न्याय की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

(प्रतिउत्तर के अनुलग्नक 02 B में संलग्न)

4.प्रतिवादियों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) शर्त संशोधन का दुरुपयोग कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करना :- यह कि एक तरफ

प्रतिवादियों द्वारा FC शर्त 09 के उल्लंघन के बचाव में EC शर्त संशोधन का हवाला दिया जाता है,वही EC शर्त में जिस कारण का हवाला देकर शर्त में संशोधन लिया गया है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। जो वन्य जीव संरक्षण के मूल उद्देश्य से FC शर्त लगाया गया था। उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रतिवादी 03 एवं 06 द्वारा दायर हलफनामा के कंडिका 13 के लिए संलग्न अनुलग्नक 2 के बिंदु 6 में और प्रतिवादी 04 द्वारा दायर हलफनामे के कंडिका G और H में संलग्न अनुलग्नक 03 के बिंदु 6 में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का जो कारण बताया है,वह पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा **दिनांक 09.05.2009 को प्राप्त हुए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.-2A (ix) के दसवीं संशोधन दिनांक 02/01/2025 को 31/03/2026 तक शर्तों में जो संशोधन प्राप्त हुआ है** । जिसका कारण यह बताया गया है ।

4. The construction of siding se being done by railways,consists of seven nos. of rail tracks out of which3 are ready, also, the electrification and signalling work is under progress. It is likely that yard augmentation work by railways shall be completed by 31.01.2025. After yard augmentation and RLS completion, it shall require three months of time (till 31.03.2025) to synchronizethe system with railways which is knowns as “Integrated commissioning”. In other words, it may take three months for both RLS streams to reach it srated capacity of 15 MT.

5. Also, it is important to mention that the present design capacity of the CHP & RLS System, is of 15 MT per annum. To enhance the capability of the present system upto 18 MTPA certain modifications and additional conveyor Strems are required for which the action has already been taken and shall be completed by 31.03.2026.

उपरोक्त में **EC** शर्त **संशोधन का जो कारण बताया गया है उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि खनन स्थल से रेलवे साइडिंग तक कोयला का सड़क मार्ग से परिवहन करना है।** शर्त संशोधन में जो कारण बताया गया है वह सिर्फ रेलवे साइडिंग के निर्माण एवं उससे संबंधित कार्यों का विवरण है, न कि सड़क मार्ग द्वारा खनन स्थल से रेलवे साइडिंग तक परिवहन ।अतःशर्तों के अनुसार रेलवे साइडिंग तक कोयला सड़क मार्ग से ले जाना प्रतिवादियों द्वारा **प्रयोक्ता अभिकरण (NTPC) एवं पश्चिमी वन प्रमंडल के अधिकारियों के बीच निजी लाभ के लिए साठगांठ से खनन स्थल से रेलवे साइडिंग तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन**

किया जा रहा है।यह कारवाई न केवल EC की संशोधित शर्तों के विपरीत है, बल्कि पर्यावरणीय मानकों और वर्णित आदेशों को जानबूझकर उल्लंघन की पुष्टि करती है। इस गैरकानूनी व्यवहार से निजी लाभ ही प्रकट होता है, जिससे वन्यप्राणी जीव संरक्षण 1972 एवं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का हनन होता है।

5.भारत सरकार ने FOREST CLEARANCE के स्टेज 2 दिनांक 17.09.2010 क़े शर्त संख्या 9 के उल्लंघन में ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) दिनांक 09.05.2009 के Specific Condition No.- 2A (ix) मान्य होने से संबंधित कोई निर्देश/अभिलेख नहीं है और भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने अद्यतन तक कोई पत्र जारी नहीं किया है।

- यह कि एक तरफ प्रतिवादियों ने भारत सरकार ने FOREST CLEARANCE के स्टेज 2 दिनांक 17.09.2010 क़े शर्त संख्या 9 के उल्लंघन में ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) दिनांक 09.05.2009 के Specific Condition No.- 2A (ix) के संशोधन को माननीय न्यायाधिकरण में बचाव कर रहे हैं। वही FC शर्त 09 के उल्लंघन में EC शर्त मान्य होने से संबंधित कोई निर्देश/अभिलेख नहीं है । जिसकी पुष्टि मेरे द्वारा भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सूचनाधिकार 2005 के तहत IA Division से मांगी गई जानकारी से हुआ है। जिसमें मेरे द्वारा दिनांक 02/10/2025 जिसका पंजीयन संख्या MOENF/R/E/25/01465 को FC Division में अंतरित किया गया जिसका संख्या MOENF/R/E/25/01465/1 के सूचना संख्या 3 में

"झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को दिए गए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No. - 2A (ix) को एनटीपीसी को मिले FOREST CLEARANCE (FC) स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC दिनांक 17.09.2010 के शर्त संख्या 9 में भी मान्य लागू होने से संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी पत्र/मेमोरेंडम या नियमावली की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए" के जवाब में कहा गया कि **3. No information in respect of point no. 3 of RTI application is available in the Forest Conservation Division.** इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त उल्लंघन से संबंधित कोई सूचना/अभिलेख/निर्देश राज्य सरकार/भारत सरकार के पास नहीं है।

(अनुलग्नक 01)

5.प्रतिवादी 02 एवं 03 द्वारा FC मंजूरी स्टेज 2 के अनिवार्य शर्त 09 के उल्लंघन की पुष्टि,जिसे माननीय न्यायाधिकरण से छुपाया गया ।

1. यह कि प्रतिवादी 02 के स्थल निरीक्षण से प्रमाणित हुआ है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, हरमू, रांची की दिनांक 25/11/2022 की निरीक्षण रिपोर्ट (पत्रांक-717, पृष्ठ 6) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी ने कन्वेयर सिस्टम के अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा कोयले का परिवहन किया है, जो Forest Clearance (FC) स्टेज 2 के आदेश F.No. 8-56/2009-FC की शर्त संख्या 9 का आंशिक उल्लंघन है। यह तथ्य सभी प्रतिवादियों ने जानबूझकर माननीय न्यायाधिकरण से छुपाया तथा अपने हलफनामों में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार, प्रतिवादियों ने न केवल स्वयं के लिए FC शर्तों का उल्लंघन किया/करवाया बल्कि माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी स्वार्थ में सच्चाई छिपाई है। प्रतिवादियों ने जो तथ्य, अभिलेख और तर्क प्रस्तुत किए, वे न केवल भ्रामक हैं, बल्कि न्याय को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयास हैं एवं भारत सरकार की रिपोर्ट को झुठलाने का भी प्रयास किया है।

(आवेदक के प्रतिउत्तर ,अनुलग्नक 01 C मे संलग्न)

2. प्रतिवादी 03 के दो सदस्यीय जांच रिपोर्ट में FC शर्त 09 के उल्लंघन की हुई पुष्टि,पांच महीने तक दबा कर रखा गया एवं माननीय न्यायाधिकरण से भी छुपाया गया :- यह कि आवेदक के द्वारा FOREST CLEARANCE के शर्त संख्या 9 का उल्लंघन के मामले में शिकायत के आलोक में वन संरक्षक,प्रादेशिक अंचल हजारीबाग के पत्रांक – 1892 दिनांक 29/11/2024 को दो सदस्यीय जांच कमिटी का गठन किया गया था। जांच कमिटी ने दिनांक - 27/02/2025 को वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल,हजारीबाग को अंतरिम जांच प्रतिवेदन सौंप दिया था। जांच टीम ने अपने मंतव्य में लिखा है जो निम्न है .

- **जांच समिति के मुख्य निष्कर्ष:** FC शर्त 9 का उद्देश्य वन्यजीवों, विशेषकर हाथियों, के आवागमन को बाधित न करना है, लेकिन इसका उल्लंघन होने से ये वन्यजीव मानवीय आबादी में प्रवेश कर कृषि एवं जन-धन को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
- उदाहरण स्वरूप, हाल ही में बाणादाग रेलवे साइडिंग और हजारीबाग के समीप खिरगांव तक हाथी भटक आए, जिससे व्यापक दुर्घटनाएं हुई और जनहानि हुई है। सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के कारण लोगों की मृत्यु और वनों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है।

- ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के शर्तों में संशोधन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने से FC के शर्त 9 का उल्लंघन हुआ,
- क्योंकि EC और FC के शर्तों के उद्देश्य भिन्न हैं तथा इन्हें आपस में नहीं जोड़ा जा सकता।प्रयोक्ता अभिकरण EC की शर्तों की आड़ लेकर FC के शर्तों का उल्लंघन कर रहा है।
- परिवादी मंटु सोनी उर्फ शनि कांत को जन सूचना पदाधिकारी द्वारा उचित सूचना भी उपलब्ध नही कराया गया है।
- इसलिए भवदीय से FOREST CLEARANCE स्टेज 2. F.No 8-56/2009-FC के शर्त संख्या 9 का अनुपालन सख्ती से करवाने की अनुसंशा जांच कमिटी द्वारा किया जाता है। उक्त शर्त के पालन की जिम्मेवारी वन विभाग का कर्तव्य/दायित्व होता है। इसका उल्लंघन FOREST CONSERVATION ACT 1980 एवं WILD LIFE PROTECTION ACT 1972 के तहत आता है।
- "उपरोक्त रिपोर्ट के संबंध में, जो प्रतिवादी 03 के लिए हलफनामा दायर करने वाले पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मौन प्रकाश के खिलाफ शिकायत में जांच की पुष्टि हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर अपने हलफनामे में उक्त रिपोर्ट को शामिल नहीं किया। साथ ही, हलफनामे के कंडिका 13 एवं 14 में जो अभिलेख, पक्षकार या तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, वे भिन्न एवं तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।"

(आवेदक के प्रतिउत्तर,अनुलग्नक 01D में संलग्न)

6. FC शर्त 09 के उल्लंघन पर प्रतिवादी 03 एवं 04 विभिन्न स्तर पर अलग- अलग जवाब दिया और माननीय न्यायाधिकरण से प्रतिवादी 03 ने जानबूझकर महत्वपूर्ण अभिलेखों/तथ्यों को छुपाया ।

- यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (EZ) कोलकाता के वाद संख्या 0A 107/ 2025 में पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मौन प्रकाश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक संरक्षक,झारखंड रांची एवं प्रतिवादी संख्या 6 वन्य जीव प्रतिपालक,रांची झारखंड के आलोक में दिनांक 22/07/2025 को जो हलफनामा दिया गया है । उसके कंडिका संख्या 18 और 20 में कहा गया है कि,न्यायहित और विभाग में प्राप्त आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर उपरोक्त हलफनामा दायर किया गया है । जिसमें FOREST CLEARANCE के स्टेज 2 दिनांक 17.09.2010 क़े शर्त संख्या 9 के उल्लंघन के मामले में महत्वपूर्ण अभिलेखों/तथ्यों को छुपाया और गलत व्याख्या कर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए न्याय/सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया गया । जिसका विवरण/साक्ष्य अगले कंडिका में वर्णित है।

1. यह कि तत्कालीन माननीय विधायक श्री लोबिन हेंब्रम द्वारा झारखंड विधानसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 2 में यह पूछा गया था कि "**क्या यह बात सही है कि Forest clearance के शर्तों का उल्लंघन कर कन्वेयर बेल्ट बन जाने के बाद भी सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई के लिए वन विभाग एनटीपीसी को Transit permit अभी तक जारी करते आ रही है** के सवाल पर वन विभाग की तरफ से प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी से पूछकर विधानसभा झारखंड में यह जवाब दिया गया कि **"मुख्य महाप्रबंधक, पंकरी बरवाडीह एनटीपीसी लिमिटेड ने (प्रतिवादी 04) अपने पत्रांक 23 दिनांक 10 फरवरी 2023 से सूचित किया है कि विभिन्न कारणों जैसे भूमि अधिग्रहण एवं स्थानीय विधि व्यवस्था के चलते अभी तक कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पाया है, फलस्वरुप उनके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक दिनांक 27/29. 10. 2020 के प्रावधान (जो EC के लिए मान्य था,FC के लिए नहीं जिसका विवरण अगले कंडिका में वर्णित) के आलोक में तत्काल सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है । उपरोक्त परिपेक्ष्य में trasit permit निर्गत किया जा रहा है "**

- उपरोक्त जवाब से प्रतिवादी 03 एवं प्रतिवादी 04 द्वारा माननीय झारखंड विधानसभा को कन्वेयर सिस्टम के पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं होने की बिना दस्तावेजी टेक्निकल रिपोर्ट के गलत और भ्रामक जानकारी दी गई थी। क्योंकि FC शर्त संख्या 9 में कन्वेयर सिस्टम से कोयला परिवहन करने का शर्त दिया गया था,उसमें कन्वेयर कार्यरत होने या नहीं होने,एवं इसका पैमाना आदि का कोई उल्लेख नहीं किया किया गया था। जिससे उसे सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने की छूट प्रदान किया जाता हो ।
- **विधानसभा झारखंड में पूछे गए सवाल का जवाब प्रतिवादी 03 को विभागीय अभिलेख के अनुसार देना चाहिए था ।लेकिन उनके द्वारा प्रतिवादी 04 से पूछकर विधानसभा में जवाब भेजा गया।**
- **उपरोक्त से यह साबित होता है प्रतिवादी 03 और प्रतिवादी 04 में निजी स्वार्थ लिए आपस में गहरी सांठगांठ है** ।दोनों प्रतिवादियों के द्वारा विधानसभा झारखंड में पूरी तरह से झूठा जवाब दिया गया था।
- उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दिया गया जवाब/अभिलेख को माननीय न्यायाधिकरण कोलकाता को अपने हलफनामा में छुपाते हुए पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादियों के आपसी सांठगांठ से हलफनामा दायर कर तथ्यों को छुपाते हुए गलत और भ्रामक जवाब दिया गया है ।
- प्रतिवादी 03 ने प्रतिवादी 04 से पूछकर जो विधानसभा झारखंड में जो जवाब दिया उस दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के त्रिपुरारी सिंह एवं अन्य मामले में सिविल अपील नंबर C.A 6249/2021 पर दिनांक 08.08.2022 के आदेश में अक्टूबर 2023 तक या उससे पहले कन्वेयर कंस्ट्रक्शन पूर्ण करने का आदेश प्रभावी था। जिसके बावजूद प्रतिवादियों ने माननीय झारखंड़

विधानसभा में उक्त आदेश का हवाला नहीं दिया । **क्योंकि विधानसभा में FC उल्लंघन का सवाल पूछा गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवादी 04 ने EC शर्त संशोधन के आधार से आदेश प्राप्त किया था।** (आवेदक के प्रतिउत्तर के कंडिका 17,अनुलग्नक 03) लेकिन उक्त आदेश को दोनों प्रतिवादियों ने जानबूझकर विधानसभा झारखंड में प्रस्तुत नहीं किया ।

2. दस्तावेजों का गलत व्याख्या कर FC शर्त 09 के उल्लंघन का बचाव विधानसभा झारखंड में सिर्फ EC के लिए मान्य 0FFICE MEMORANDUM से किया:- यह कि माननीय विधानसभा झारखंड में पूछे गए सवाल का जवाब प्रतिवादी 03 द्वारा सरकारी अभिलेखों से नहीं देकर प्रतिवादी 04 से पूछकर दिया गया था । माननीय विधायक लोबिन हेंब्रम द्वारा **सवाल FOREST CLEARANCE (FC) के उल्लंघन को लेकर पूछा गया था और उसका जवाब सिर्फ ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के लिए मान्य 0FFICE MEMORANDUM का हवाला देकर दिया गया** । विधानसभा को दिए जवाब में भारत सरकार के पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक दिनांक 27/29. 10. 2020 के 0FFICE MEMORANDUM को आधार बनाते हुए सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने को बताया गया था । **जबकि उसी अधिसूचना के कंडिका 4 में यह स्पष्ट किया गया था कि यह अधिसूचना सिर्फ ENVIRONMENT CLEARANCE (EC) के लिए ही मान्य होगा।** उपरोक्त तथ्य/साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि निजी लाभ के लिए प्रतिवादी 03 और 04 ने माननीय विधासभा झारखंड में दस्तावेजों का गलत व्याख्या करते हुए झूठा,गलत और भ्रामक जवाब दिया गया था।

3.प्रतिवादी 03 ने सूचनाधिकार के तहत जवाब में बताया कन्वेयर सिस्टम बन जाने के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने/नहीं करने संबंधी अभिलेख कार्यालय में नहीं है :- यह कि आवेदक मंटू सोनी उर्फ शनि कांत द्वारा सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07/10/2022 को पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग कार्यालय में पूछे गए सूचना संख्या 3 जिसमें "**एनटीपीसी (प्रतिवादी 04) के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बाणादाग़ रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद एनटीपीसी को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का परिवहन/वन विभाग का विभागीय आदेश निर्गत है,तो उसकी शर्तों के साथ विभागीय आदेश कॉपी का विवरण उपलब्ध कराया जाए**" के जवाब में दिनांक 02/11/2022 को कहा गया था कि "**एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बाणादाग़ रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने/नहीं करने से संबंधी कोई अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है**"। उपरोक्त जवाब को माननीय न्यायाधिकरण को न्याय प्रभावित एवं गुमराह करते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने हलफनामा में छुपा लिया है।

- **उक्त सूचना के आधार पर प्रतिवादी 03 पर महत्वपूर्ण प्रश्नचिह्न यह उठता है कि जब दिनांक 02/11/2022 तक कन्वेयर सिस्टम बन जाने के बाद सड़क मार्ग से**

कोयला परिवहन/नहीं करने का कोई अभिलेख प्रतिवादी 03 के पास नहीं था, तो वर्तमान में माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादी ने सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने से सम्बंधित अपने हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 में जो अभिलेख/पक्ष दिया है, वह कब और किस माध्यम से प्राप्त हुआ ? FC शर्त 9 के उल्लंघन के मामले में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी 03 से बार बार जांच प्रतिवेदन मांगे जाने के बाद क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत है। माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादी 03 ने अपने हलफनामा के कंडिका 13 एवं 14 में जो अभिलेख/पक्ष/तर्क दिया है। अगर वह सही है तो आवेदक द्वारा FC शर्त 9 के उल्लंघन से संबंधित शिकायत पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के श्री सुनित भारद्वाज के पत्र दिनांक 08/09/2024 के आलोक में प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री जलज कुमार के द्वारा दिनांक 07/10/2024 से पूछे गए जांच प्रतिवेदन को (प्रतिवादी 03) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड से शिकायत के विषयवस्तु पर जांचोपरांत यथाशीघ्र अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। उक्त पत्र का जवाब भारत सरकार को अब तक नहीं दिया गया है।

- उक्त पत्र में ही आवेदक द्वारा पूर्व में किए गए शिकायत पर विभागीय पत्रांक 1174,दिनांक 29/03/2023,विभागीय पत्र -2043 दिनांक 02/06/2023, विभागीय पत्रांक 2661 दिनांक 14/07/2023, पत्रांक 251 दिनांक- 25/01/2024, विभागीय पत्रांक 835 दिनांक 11/03/2024 एवं पत्रांक 3615 दिनांक 06/08/2024 एवं दिनांक 07/10/2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक,झारखंड प्रतिवादी 03 ने झारखंड सरकार और भारत सरकार को निजी लाभ के लिए जवाब उपलब्ध नहीं कराया। उपरोक्त पत्राचार को आवेदक ने याचिका के मूल आवेदन के (ANNEXURE 3) में अनुलग्नक के रूप में वर्णित किया है।

(आवेदक के प्रतिउत्तर में अनुलग्नक - 01 से 01 B)

4.प्रतिवादी 04 के द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान ग्रामीणों की मौत पर माननीय न्यायाधिकरण को झूठा हलफनामा दायर किया- यह कि प्रतिवादी संख्या 04 के द्वारा अपने हलफनामा के कंडिका L में इस बात का झूठा दावा किया है कि एनटीपीसी के द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के दौरान दुर्घटना में किसी की मौत से सीधा इनकार किया है ।

- जबकि आवेदक के द्वारा OA (EZ) 107/2025 के मूल आवेदन के ANNEXURE 2 के कंडिका 9 में संलग्न राष्ट्रीय दैनिक अखबार "दैनिक भास्कर" के दिनांक 02.12.2022 में छपी खबर जिसमें खबर की शुरुआत में ही त्रिवेणी सैनिक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जो एनटीपीसी के एमडीओ है।

जिसमें "**हाइवा के चपेट में आने से परियोजना क्षेत्र के चेपाकला निवासी सुनील भुइया की मौत**" एवं दिनांक 02.11.2022 के खबर जिसमें सड़क दुर्घटना में मौत पर एनटीपीसी कि सहयोगी कंपनी **त्रिवेणी सैनिक द्वारा मृतक के परिजन को नौकरी एवं 6 लाख का मुआवजा** देने का उल्लेख किया गया है।

- इस विषय में भी प्रतिवादी 04 द्वारा हलफनामा में झूठा हलफनामा प्रस्तुत कर माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने का प्रयास किया गया है ।
- एक अन्य घटनाक्रम में दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 09.02.2023 को छपी खबर में **"कोयला चुनने गई महिला का ओबी में दबकर मौत"** शीर्षक से छपी खबर की पुष्टि करता है कि प्रतिवादी 04 के कारण महिला की मौत हुई थी । क्योंकि प्रतिवादी 04 के द्वारा सुरक्षा,व्यवस्था एवं उपायो में घोर लापरवाही बरती गई थी।

(आवेदक के प्रतिउत्तर अनुलग्नक 5 में संलग्न)

7.क्षेत्र में वन्यजीवों का परिवास,वन्यजीव प्रबंधन की स्थिति,मानव-वन्यजीव संघर्ष से जानमाल का नुकसान,मुआवजा वितरण का विवरण एवं माननीय न्यायाधिकरण में प्रतिवादी 03.04 एवं 06 ने वन्य जीव प्रबंधन योजना पर वन्य जीवों के नुकसान को छुपाने के लिए अधूरा और न्याय को प्रभावित करने के लिए माननीय न्यायाधिकरण भ्रामक जवाब दिया

(1). क्षेत्र में वन्य जीवों का पर्यावास- विवरण - यह कि पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिवादी 04 एनटीपीसी का खनन क्षेत्र संचालित है। उक्त क्षेत्रों में वन्यजीवों का परिवास मुख्य रूप से वनों, संरक्षित क्षेत्रों और प्राकृतिक परिवास पर निर्भर है, जो मानव गतिविधियों जैसे कृषि, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे विकास से प्रभावित हो रहा है।आवास हानि और विखंडन के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक परिवास बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे उनकी संख्या और विविधता पर दबाव पड़ रहा है। मुख्य रूप यहां से अधिसूचित एक से लेकर चार तक वन्य जीवों का परिवास है । During baseline data generation, 21 nos of Schedule-I species (namely Asiatic Elephant (Elephas maimus indicus), Indian Pangolin (Manis crassiicaudata), Sloth Bear (Melursus ursinus), Jackal (Canis aureus), Jungle Cat (Felis chaus), Small Indian Mongoose (Urva auropunctata), Grey Mongoose (Urva edwardsii), Asian Palm Civet (Paradoxurus

hermaphrodites), Striped Hyena (Hyaena hyaena), Porcupine (Hystrix indica), Python
(Python molurus), Cobra (Naja naja), Russell's Viper (Daboia russelii) Checkered Keelback
(Water Snake) (Fowlea piscator), Rat Snake (Ptyas mucosus), Monitor Lizard (Varanus
bengalensis), Indian Chameleon (Chamaeleo zeylanicus), Indian flap Shell turtle (Lissemys
punctata), etc) were reported in the study area as listed in Wildlife Protection act 1972..

(2) वन्य जीव प्रबंधन योजना की स्थिति एवं प्रतिवादियों द्वारा माननीय न्यायाधिकरण से तथ्यों को छुपाना - यह कि प्रतिवादी 04 अपने हलफनामा के कंडिका E में यह कहते हैं कि उनके द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना के लिए CAMPA खाते में 135.67 करोड़ रुपए जमा किया है।प्रतिवादी संख्या 03 एवं 06 ने भी अपने हलफनामा के कंडिका 15 के अंतिम पैरा में प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी द्वारा विभाग को CAMPA खाते में जमा किया गया जाना बताया है।

- **प्रतिवादियों द्वारा बहुत चालाकी से माननीय न्यायाधिकरण को अधूरा और भ्रामक जवाब दिया गया है । क्योंकि उपरोक्त वर्णित राशि कब जमा किया गया है और उसपर क्या- क्या योजना लागू किया गया है,वह माननीय न्यायाधिकरण से छुपा लिया गया है। उनके द्वारा इस तथ्य को जानबूझ कर छिपाने का प्रयास किया गया है जो निम्न है ।**
- **प्रतिवादी 03,04 एवं 06 द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना पर कार्य किए बिना खनन कार्य 2016 में चालू कर दिया गया और वर्ष 2023 में प्रतिवादी 04 द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना के लिए CAMPA खाते में 135.67 करोड़ रुपए जमा किया है**। इससे संबंधित तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी,पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा प्रमंडल में उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 21/12/2023 को एक पत्र/रिपोर्ट में संलग्नक के रूप लगाया गया था,
- जिसमें प्रयोक्ता अभिकरण के बारे में यह लिखा गया है कि,एन०टी०पी०सी० पकरी बरवाडीह (1026.438 हे0): वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में इसका स्टेज-11 2010 में हुआ था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan योजना 2023 में जमा किया गया, जिसकी स्वीकृति(प्रतिवादी 06) **प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी**

प्रतिपालक झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या 33, ज्ञापांक 1006 दिनांक 03.08.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि Mining 2016 से ही चालू है। स्वीकृति के बाद भी कैम्पा से Mitigation के लिये अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

- उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण 2016 में खनन कार्य चालू किया एवं 2023 तक प्रतिवादियों ने वन्य जीव प्रबंधन पर कोई कार्य नहीं किया गया ।जिससे वन्य जीवों,जानमाल फसल,कृषि का काफी नुकसान हुआ। ।

(आवेदक के प्रतिउत्तर के अनुलग्नक 4)

(3) वन्य जीव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन किए बिना खनन कार्य हेतु खोल दिया गया । जिसके कारण वन्य जीवों,मानव जीवन, कृषि एवं प्रास्थितिकी का भारी नुकसान हुआ- यह कि सूचनाधिकार अधिकार के माध्यम से दिनांक 13.03.2020 के कंडिका 3 में यह बताया गया कि **"पिछले दस वर्षों में जंगली जानवरों द्वारा जान माल की क्षति होने से संबंधित अब तक कुल 1422 मामले में प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया गया है"** ।

- जिससे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन के चलते प्रभाव की पुष्टि एवं निजी लाभ के प्रतिवादी 03 एवं 06 द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना पर कार्य नहीं होने के बाद हुए नुकसान की पुष्टि करता है और वन्य जीवों के प्रास्थितिकी संतुलन बिगड़ने के कारण को पुष्टि करता है ।

(4) यह की वन प्रमंडल पदाधिकारी पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग के कार्यालय पत्रांक 5813 दिनांक 11.10.2023 के एक रिपोर्ट में वर्ष 2019 से 2024 तक **पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत जंगली हाथियों द्वारा मृत एवं घायल व्यक्तियों से संबंधित मुआवजा राशि** का विवरण दिया गया है।

- जिसमें कुल 32 मृत लोगों के लिए 10000000.00 एवं 7 घायलों के लिए 530000.00 कुल 10530000.00 रुपया दिया गया ।
- वहीं वर्ष 2019 से 2024 तक जंगली **हाथियों द्वारा फसल भंडारी अनाज मकान एवं पशु क्षति से संबंधित मुआवजा राशि** का विवरण दिया गया है । फसल छति के कुल 1560 मामले जिसमें 228.8 हेक्टेयर भूमि पर 557120 क्विंटल का 4340772.00 राशि का भुगतान किया गया ।
- भंडारित अनाज के 290 मामले में 618.44 क्विंटल के लिए 98950.00 रुपए एवं मकान क्षति के कुल 576 मामले में कुल 10110000.00 रुपए तथा

पशु क्षति के कुल 23 मामले 18000 क्विंटल के लिए 314000.00 रुपए का आंकड़ा दिया गया है।

- जिससे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन के चलते प्रभाव की पुष्टि एवं **निजी लाभ के लिए प्रतिवादी 03 एवं 06 द्वारा वन्य जीव प्रबंधन योजना पर कार्य नहीं होने के बाद सरकारी राजस्व, मानव जन जीवन,कृषि एवं वन्य जीवों के हुए नुकसान की पुष्टि** करता है और वन्य जीवों की प्रास्थितिकी संतुलन बिगड़ने के कारण की भी पुष्टि करता है।

(5.)क्षेत्र में संचालित कोल परियोजनाओं के द्वारा वन्य जीव संरक्षण के घोर लापरवाही की रिपोर्ट - यह की वन्य जीव प्रबंधन योजना के संबंध में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी,पश्चिमी वन प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा प्रमंडल में उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 21/12/2023 को लिखे एक पत्र में वैसी परियोजनाओं जिसमें बिना Wildlife Plan/CAT Plan के खनन कार्य शुरू कर लिया गया है । जिसकी विवरणी निम्नवत् है ।

- मेसर्स एन०एम०डी०सी० लिमिटेड (पूर्व आवंटी मेसर्स एस्सार पावर लिमिटेड के टोकीसूद नार्थ सब ब्लॉक) 374.87 हे0 :- वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.12.2011 द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे राज्य सरकार के पत्रांक 3145 दिनांक 09.07.2014 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि को विमुक्त किया जा चुका है। जबकि स्टेज-1 के शर्त संख्या-09 एवं स्टेज-1 के शर्त संख्या-14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को Conservation Plan का कार्यान्वयन करना था जो अभी तक नहीं हुआ है। जिसका विवरण नीचे की कंडिका में वर्णित है।
- एन०टी०पी०सी० पकरी बरवाडीह (1026.438 हे0): वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में इसका स्टेज-11 2010 में हुआ था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan योजना 2023 में जमा किया गया, जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या 33, ज्ञापांक 1006 दिनांक 03.08.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि Mining 2016 से ही चालू है। स्वीकृति के बाद भी कैम्पा से Mitigation के लिये अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं है।
- चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के अन्तर्गत मगध ओ०सी०पी० परियोजना (96.72 हे0) :- इस परियोजना में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.10.2010 से अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है तथा राज्य सरकार के पत्रांक 3276 दिनांक 22.06.2015 द्वारा परियोजना में सन्निहित वनभूमि विमुक्त की गई है।

- इस परियोजना के शर्त संख्या-18 "The user agency to bear the cost of implementation of conservation plan to be prepared in consultation with the CWLW of the State for the Hazaribagh National Park and its buffer zone adjoining CCL mining zone." में उल्लेखित है।
- उक्त शर्त का अनुपालन खनन कार्य प्रारम्भ होने के बावजूद लंबित था। जब सी०सी०एल० द्वारा मगध ओ०सी०पी० के नयी परियोजना 192.36 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भारत सरकार को समर्पित किया गया जिसमें भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई जिसमें तीन बिन्दु मगध ओ०सी०पी० 96.72 हे0 के WLMP से संबंधित था।
- तब जाकर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर समर्पित की गई जिसकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची का कार्यालय आदेश संख्या- 39, ज्ञापांक 1473 दिनांक 29.11.2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि खनन कार्य 2016 से ही जारी है।
- उपरोक्त रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में कहा गया है कि अनुभव के आधार पर यह Site Inspection Report में उल्लेख किया गया है। क्योंकि Mining Start हो जाने में वन्यप्राणियों पर दुष्प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है एवं Soil Erosion भी होने लगता है। विलम्ब से Wildlife Plan/CAT Plan के लागू होने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसी के मद्देनजर यह मंतव्य दिया गया है कि Mining के साथ Wildlife Plan/CAT Plan का कार्य भी प्रारम्भ करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

(आवेदक के प्रतिउत्तर अनुलग्नक 6 से 8)

8.प्रतिवादी संख्या 04 प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी द्वारा FOREST CLEARANCE और ENVIRONMENT CLEARANCE के शर्तों को वन,मानव जीवन,वन्य जीवों एवं पारिस्थितिकी को दरकिनार कर 14 वर्षों तक निजी लाभ के लिए विभिन्न भ्रामक कारणों को बताकर पूरा नहीं करना एवं उसका निर्ममता से उल्लंघन करना

1. यह कि प्रतिवादी 04 एनटीपीसी द्वारा FOREST CLEARANCE (FC) वर्ष 2010 जो और ENVIRONMENT CLEARANCE EC) वर्ष 2009 में मिल चुका था। परंतु अब तक लगभग 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा निजी लाभ के पूर्ति के लिए विभिन्न भ्रामक कारणों का बहाना बनाकर शर्तों का पालन नहीं किया

गया और उसका निर्ममता से उल्लंघन किया जा रहा है । जो क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,हजारीबाग के पत्रांक 1210 दिनांक 23.06.2025 को वन प्रमंडल पदाधिकारी,हजारीबाग को लिखा गया पत्र से होता है । जिसका विवरण इस प्रकार है ।

- यह कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिवादी 04 एनटीपीसी को FOREST CLEARANCE (FC) स्टेज 2 के शर्त संख्या 2.b के संदर्भ में 3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अबतक safety zone क्षेत्र का पूर्ण घेरान नहीं किया गया है बल्कि मात्र 6000 भी० एक घेरान barbed wire से एक स्तरीय किया गया है। इसमें safety zone का द्विस्तरीय fencing किया जाना चाहिए। safety zone का द्विस्तरीय fencing नहीं होने के कारण इसका regeneration भी नहीं हो पा रहा है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लगभग 37000 पौधे safety zone में लगाने की बात कही गई परन्तु उनके फोटोग्राफस से regeneration की रिथति दयनीय प्रतीत होता है। प्रयोक्ता अभिकरण को संपूर्ण safety zone क्षेत्र में द्विस्तरीय Fencing Chain Link fence से करवाकर इस बरसात में इस क्षेत्र में गहन वृक्षारोपण हेतु निदेश दिया गया था। परन्तु इस संबंध में कोई अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अबतक नहीं भेजा गया। प्रस्तुत द्वारा परियोजना लागत से सुरक्षा क्षेत्र की बाड़बंदी, सुरक्षा और पुनर्जनन का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, परियोजना लागत से ही, अन्यत्र चयनित की जाने वाली क्षतिग्रस्त वन भूमि पर, सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल के डेढ़ गुना क्षेत्रफल पर वनरोपण भी किया जाएगा। 2.बी. अतः आप स्वयं अथवा सहायक वन संरक्षक के माध्यम से इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर इस शर्त का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया था।
- यह कि प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी को FOREST CLEARANCE (FC) स्टेज 2 के शर्त 8.i के संबंध जिसमें पकवा एवं खुर्रा नाला के किनारे 50 मीटर ग्रीन बेल्ट बनाने का शर्त दिया गया था। उसके संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा इसके अनुपालन के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि इसका अनुपालन लंबित है। उन्हें पकवा एवं खोर्स नाला के दोनो ओर 50 मी ग्रीन बेल्ट बनाने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिया जा चुका है।
- यह कि प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी को FOREST CLEARANCE (FC) स्टेज 2 के शर्त 19 के आलोक में प्रयोक्त्ता अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कई पूराने तालाबो का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबो के निमार्ण की बात कही गई परन्तु उनके द्वारा कोई सूची प्रस्तुत नहीं किया गया। Disiltation किये गये तालाबो की सूची उनसे गाँगा गया था जो अबतक अप्राप्त है। आप प्रयोक्ता अभिकरण से पूरी सूची प्राप्त कर उसका अपने स्तर से जाँचोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करने को लिखा गया है ।

2. यह कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिवादी 04 एनटीपीसी को ENVIRONMENT CLEARANCE(EC) वर्ष 2009 में स्वीकृति मिलने के बाद अब तक कई महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। जो सार्वजनिक जनहित,वन्य जीव हित,सुरक्षा और जनकल्याण से संबंधित है,इसके बावजूद प्रतिवादी 04 द्वारा निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु विभिन्न भ्रामक कारणों का हवाला देकर उन शर्तों को लगभग 14 वर्ष के बाद भी पूरा नहीं किया गया है ।जिसको लेकर MOEF &CC के compliance & monitoring division -I.A Division के साइंटिस्ट "ई "श्री मुन्ना कुमार शाह में दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को प्रतिवादी 04 को पत्र लिखा जिसमें प्रमुख बिंदु निम्न है।

- "3. The monitoring report submitted for the project by RO, Ranchi has been examined in the Ministry and following are observed non-compliances with respect to said EC letter on the basis of review of IRO's report:i. Violation/non-compliance of the provision of Forest Clearance Act. (Specific Condition: II)
- ii. Necessary fund for construction of road upto the Monolith and park around to the state Govt. yet has not been released.
- (Specific Condition: III) Siltation ponds, gabions have not been constructed in South West direction, Siltation pond has not been properly maintained, grassing, vegetation, plantations has not been developed near Lathorwa nallah, gabions has not been developed in between slope and nallah, no embankment between dump D of eastern quarry and pakka nallah has been constructed (Specific Condition: IV)
- iv. Catch drains and siltation ponds has not been constructed for other portion of top soil dump. (Specific Condition: V)
- v. Grassing and vegetation on the slopes of the OB dump has not been developed properly also, the slope of the section has not been submitted. (Specific Condition: VI)
- vi. Catch drains and siltation ponds at many places as specified by IRO has not been constructed and maintained. (Specific Condition: VII)
- vii. Retaining wall at the toe of the OB dump has not constructed at many places as specified by IRO. (Specific Condition: VIII)
- viii. 3-tier avenue plantation has not been developed as per the EC condition. Transportation of Coal has is not being done as per the EC conditions dust emission has not been controlled effectively (Specific Condition: IX)

- ix. Inadequate Dust control system to control the dust emission. (Specific Condition: XII)
- X. Development of Rainwater harvesting structure wherever feasible. (Specific condition: XΠI)
- xi. Maintenance of Oil & grease trap and operational status of STP. (Specific Condition: XV) (General condition; VII)
- xii. Completion of Plantations in some portions (as specified by IRO) of OB dumps (Specific Condition: XVI)
- xiii. Status and completion of R&R Plan (Specific Condition: XIX)
- xiv. Implementation of the report of Department of Forestry, wildlife & Environmental Sciences, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh (Specific Condition: XXI) Date till which eastern quarry of the project was operational. (General Condition: 1)
- xv.nstallation of CAAQMS near Mining operations area in consultation with JSPCB officials. (General condition: III) xvi.
- xvii. Fugitive dust emission from all sources has not been controlled properly. Water spraying arrangement on haul roads, wagon loading, and dump truck has not been adequately maintained. (General Condition: IV)
- xviii. Submit the details of proper collection and treatment of Industrial wastewater. (General Condition: VII)
- xix. Details of whether funds earmarked for environmental protection measures have been kept in separate accounts. (General Condition: XII)

"4. In view of the foregoing, the Project proponent (PP) is hereby directed to submit the clarification/Action Taken Report (ATR) for observed non-compliance within the next 30 days from the date of issuance of this letter. It may be noted that, if no satisfactory reply is received within the prescribed time frame, the Ministry will be constrained to take necessary action as deemed fit and appropriate in the circumstances of the case which inter-alia include issuance of Show-Cause Notice under the provision of section (5) of the Environment (Protection) Act, 1986.

(आवेदक के प्रतिउत्तर अनुलग्नक 9,10)

9.माननीय न्यायाधिकरण पूर्वी पीठ कोलकाता ने तीन महीने में प्रतिवादी 04 को दिया था कन्वेयर बेल्ट बनाने का आदेश,सुप्रीम कोर्ट से दो साल का लिया समय ,FC शर्त को छुपाया:- माननीय न्यायाधिकरण, कोलकाता ने केस संख्या 0A no 61/2019/EZ (त्रिपुरारी सिंह बनाम रेलवे मंत्रालय) में दिनांक 06.01.2021 के अपने आदेश में प्रतिवादी संख्या 04 (एनटीपीसी) को आदेश दिया था कि वह तीन महीने के भीतर कन्वेयर बेल्ट बनाए।

- इसके विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 04 ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.05.2009 प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance - EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) में संशोधन की मांग की। यह संशोधन Forest Clearance (FC) के स्टेज 2 के शर्त संख्या 9 से संबंधित नहीं था।
- प्रतिवादी की यह अपील, जो कि त्रिपुरारी सिंह व अन्य मामलों से सम्बंधित सिविल अपील संख्या C.A 6249/2021 थी, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 08.08.2022 को आदेश दिया कि कन्वेयर बेल्ट का निर्माण अक्टूबर 2023 तक या उससे पहले पूरा कर लिया जाए।
- इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 04 ने EC की शर्तों में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश प्राप्त कर लिया, परन्तु Forest Clearance की शर्त संख्या 09 (प्रतिउत्तर अनुलग्नक 02A) का उल्लंघन करते रहे।
- यह शर्त वन्य जीवों के सुगम आवागमन के लिए कन्वेयर सिस्टम के माध्यम से कोयला परिवहन को अनिवार्य करती है। प्रतिवादी ने इस Forest Clearance शर्त के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा छूट न तो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया और न ही संबंधित मंत्रालय से प्राप्त किया। इसके बावजूद वे इस शर्त का उल्लंघन करते आ रहे हैं। (प्रतिउत्तर के अनुलग्नक 03)

10.प्रतिवादी 04 ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या C.A. No. 6249/2021 के आदेश के निर्धारित समय से पहले कन्वेयर सिस्टम बनाया,उसके बावजूद गुमराह कर अवधि विस्तार लिया।

- माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या C.A. No. 6249/2021 के आदेश दिनांक 08.08.2022 (प्रतिउत्तर अनुलग्नक 03) में निर्देशित किया था कि कन्वेयर सिस्टम अक्टूबर 2023 से पहले या अक्टूबर तक बनाया जाएगा। परन्तु प्रतिवादी 04 ने उक्त आदेश के पूर्व कन्वेयर सिस्टम बना लिया था। जिसकी पुष्टि निम्न है।
- **सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुष्टि**:सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रेषित पत्रांक 3643 दिनांक 02.11.2022 (प्रतिउत्तर के अनुलग्नक 01B) में जानकारी प्राप्त हुई कि एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से बानादाग रेलवे साइडिंग तक कोयला कन्वेयर बेल्ट एवं ट्रक से परिवहन के लिए वन विभाग से अनुज्ञा/परमिट जारी किया जा रहा है।**इस सूचना में स्पष्ट रूप से स्वीकार**

किया गया कि कन्वेयर सिस्टम 02.11.2022 तक स्थापित और संचालित किया जा चुका था।

- **भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जांच रिपोर्ट से भी पुष्टि** :पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय हरमू, रांची द्वारा जारी पत्रांक 717 दिनांक 25.11.2022 (पेज नंबर 6) में उल्लेखित है कि प्रयोक्ता अभिकरण कन्वेयर सिस्टम के साथ-साथ सड़क मार्ग से भी कोयला परिवहन कर रहा है।जो वन संरक्षण मंजूरी (Forest Clearance) चरण 2, F.No. 8-56/2009-FC की शर्त संख्या 9 के आंशिक उल्लंघन की पुष्टि करती है।उक्त उल्लंघन की जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को भी प्रतिवेदित की गई थी (प्रतिउत्तर कंडिका 9, अनुलग्नक 01C)

11.कन्वेयर सिस्टम बन जाने के बाद भी प्रतिवादी 04 ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर पुनः सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन का आदेश लिया ।

- यह कि **(प्रतिउत्तर अनुलग्नक 01B एवं 01C**) से यह प्रमाणित करता है कि कन्वेयर सिस्टम नवंबर 2022 में चालू हो गया था। जिसके लिए वन विभाग अनुज्ञा परमिट जारी कर रही है। उसके बाद भी प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी के द्वारा पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021 दाखिल किया एवं माननीय न्यायालय को गुमराह किया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए दिनांक 20.10.2023 को यह अंतरिम आदेश दिया ।

a) Allow the present application; and.
b) Extend the timeline for completion of the entire Coal Conveying System facilities /CHP [from mine to Railway siding] at Appellant's Pakri Barwadih Coal Mine Project, Barkagaon, Hazaribag, until 31st December, 2024"

Earlier, this Court by its order on 08.08.2022 had extended the timeline for completion of the construction of the conveyor belt till 31.10.2023.

- इस प्रार्थना को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर 20.10.2023 को कन्वेयर सिस्टम की पूरी व्यवस्था 31 दिसंबर 2024 तक पूरा करने का अंतिम आदेश जारी किया ।
- जबकि इससे पूर्व 08.08.2022 के आदेश में कन्वेयर बेल्ट के निर्माण की अंतिम तिथि 31.10.2023 निर्धारित की गई थी।(प्रतिउत्तर 03) फिर भी, प्रतिवादी 04 ने सुप्रीम कोर्ट को पुनः भ्रमित कर मामूली कारणों का हवाला

देकर 29.01.2024 के आदेश में भी 31 दिसंबर 2024 तक कन्वेयर सिस्टम पूरा करने का आदेश लिया।

- स्पष्ट है कि प्रतिवादी 04 ने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति प्राप्त करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक हलफनामा प्रस्तुत किया, जबकि कन्वेयर सिस्टम नवंबर 2022 में ही चालू हो चुका था, जैसा (प्रतिउत्तर के कंडिका 8 अनुलग्नक 01B एवं कंडिका 9 अनुलग्नक 01C) से प्रमाणित होता है।

(प्रतिउत्तर अनुलग्नक 03 A)

12.माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समयावधि पूरा होने के बाद प्रतिवादी 04, MOEF &Cc से EC शर्त संशोधन लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कर रहा अवमानना I

- यह कि प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण (एनटीपीसी) ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021 दायर की, जिसके आधार पर दिनांक 29.01.2024 को 31 दिसंबर 2024 तक का कन्वेयर सिस्टम बना लेने का आदेश प्राप्त किया गया था।

(प्रतिउत्तर अनुलग्नक 3A)

- माननीय सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की समयावधि पूर्ण होने के पश्चात भी, प्रयोक्ता अभिकरण ने सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने के लिए पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं लिया और इसके विपरीत, प्रयोक्ता अभिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.05.2009 को प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की Specific Condition No. 2A (ix) में दूसरा संशोधन कर लिया, जिसके तहत सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने की अनुमति ली गई। जिसका विवरण प्रतिवादियों ने अपने हलफनामा में बताया है
- यह कार्य पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और National Green Tribunal के निर्देशों का उल्लंघन है, तथा न्यायालय और हरित अधिकरण दोनों को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास माना जाना चाहिए।
- प्रतिवादी 04 द्वारा संशोधित अनुमति के तहत भी खनन स्थल से रेलवे साइडिंग तक लगातार सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है, जबकि FC स्टेज 2 की शर्त संख्या 9 के अनुसार कन्वेयर सिस्टम द्वारा कोयला परिवहन अनिवार्य था।

- सुप्रीम कोर्ट ने 29.01.2024 के आदेश में भी इसी बात पर जोर दिया था। प्रतिवादी 04 द्वारा EC में संशोधन के कारण स्पष्ट था कि कोयला परिवहन सड़क मार्ग से ही किया जाना है,
- परन्तु प्रतिवादी 01, 02, 03, 04, 05, 06 के संयुक्त सहयोग और आपसी मिलीभगत/तालमेल से निजी लाभ हेतु नियमों का उल्लंघन करते हुए कोयला सड़क मार्ग से परिवहन जारी रखा जा रहा है।
- अतः, प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण का यह कृत्य न केवल **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरणीय नियमों के प्रति गंभीर अवमानना तथा न्यायालय और हरित अधिकरण** को गुमराह करने का प्रयास भी है।

(प्रतिउत्तर अनुलग्नक 03 B)

13.माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवादी 04 ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दिनांक 17.09.2010 को FOREST CLEARANCE स्टेज 2 के शर्त संख्या 9 को छुपाया और गुमराह किया ।

- यह कि प्रतिवादी 04 (एनटीपीसी) द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021 में प्रस्तुतिकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 17.09.2010 को प्राप्त Forest Clearance स्टेज 2 के शर्त संख्या 9 को जानबूझकर छुपाया और गुमराह किया जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के लिए विशेष महत्व रखता था।
- प्रतिवादी 04 ने Forest Clearance स्टेज 2 (F.No 8-56/2009-FC) की शर्त संख्या 9 के जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष त्रिपुरारी सिंह एवं अन्य मामले (सिविल अपील संख्या C.A. No. 6249/2021 एवं Miscellaneous Application No. 1824/2023) में जानबूझकर छुपाया।
- इस छुपाव और गुमराह करने का उद्देश्य पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की Specific Condition No.- 2A (ix) के समतुल्य Forest Clearance की शर्त संख्या 9 को छिपाकर न्यायालय को भ्रमित करना था।
- **परिणामस्वरूप, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FC शर्त की 17.09.2010 की मंजूरी में दी गई उस महत्वपूर्ण शर्त जो वन्य जीव संरक्षण 1972 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाना रोक दिया गया, जिससे परिस्थितियों और विषयों के पक्ष में उचित निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न हुई।**
- इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में आवश्यक एवं निर्णायक प्रमाण और शर्तों को गुमराहपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाना न्यायिक धोखा और प्रक्रियागत खामियों का उदाहरण इस प्रकार है।

- The main haul road of 6 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall be developed along the main approSpecific Condition No.- 2A (ix) के समतुल्य शर्त था।
- The main haul road of 6 km within the core zone shall be metalled. A 3-tier avenue plantation shall be developed along the main approach roads and haul roads. Mineral transportation_from.CHP to Railway siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System ach roads and haul roads. Mineral transportation_from.CHP to Railway siding shall be by closed belt conveyor of a length of 7km. The railway siding shall be provided with Silo Rapid Loading System

- **वन भूमि में कोयला परिवहन हेतु FC शर्त संख्या 9 में स्पष्ट रूप से वन्य जीवों के आवागमन की निर्बाधता सुनिश्चित करने हेतु कन्वेयर सिस्टम का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। यह शर्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अंतर्गत सख्ती से लागू होती है। इस नियम का उद्देश्य वनों की जैव विविधता, वन्य जीवों के आवागमन एवं मानव-वन्य जीव संघर्ष को न्यूनतम करना है।**
- परंतु,प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस संवेदनशील और विधिक रूप से अनिवार्य शर्त की पूर्ण अवहेलना की जा रही है। वह निजी स्वार्थ के कारण न केवल इस शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं, अपितु माननीय न्यायालयों को भ्रमित करने का प्रयास करते हुए उनके आदेशों का खुलेआम अवमानना भी कर रहे हैं।
- यह व्यवहार न केवल वन संरक्षण कानूनों का बल्कि न्यायपालिका की गरिमा और आदेशों की सिद्धता का भी उल्लंघन है। अतः प्रार्थना है कि इस विषय में कड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों के अनुपालन और न्यायालय के आदेशों की संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

14.वन भूमि में पेड़ काटकर सड़क मार्ग से कोयल परिवहन करने के मामले में आवेदक के माननीय न्यायाधिकरण के मूल आवेदन पर प्रतिवादी 03 ने प्रतिवादी 04 पर दर्ज किए वनवाद पर कार्रवाई नहीं करना एवं न्यायाधिकरण को जवाब नहीं दिया :-

- यह कि **प्रतिवादी 04 ने अपने हलफनामा के कंडिका F में यह** कहते हैं कि,उनके द्वारा राज्य राजमार्ग एवं ग्रामीण सड़कों से कोयला परिवहन किया जा रहा है। जो वन भूमि से बाहर है। वहीं **OA (EZ) 107/2025 के मूल आवेदन के ANNEXURE 2**

के कंडिका 8 में वर्णित एवं संलग्न साक्ष्यों पर प्रतिवादी 03,04 एवं 06 के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है ।

- जिसमें प्रतिवादी 04 के अधिकारियों एवं उनके एजेंसियों पर **वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दर्ज वनवाद जिसमें प्रतिवादी 04 के लिए माननीय न्यायधिकरण में हलफनामा दायर करने वाले श्री बीरेंद्र कुमार भी नामजद आरोपी है ।**
- जिसका जवाब प्रतिवादियों ने अपने हलफनामा में नहीं दिया है। प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी (प्रतिवादी 04) एवं उसके अधीन कार्य कर रही ट्रासंपोर्टर एजेंसियां पर आवेदक मंटू सोनी उर्फ शनि कांत के शिकायत पर पेड़ों को काटकर जंगल के रास्ते सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन करने एवं पेड़ों को काटने तथा भारतीय वन संरक्षण अधिनयम 1980 का उल्लंघन करने के मामले में कंप्लेन केस नंबर 29/2021 दिनांक 30.12.2020 एवं कंप्लेन केस 33/2021 दिनांक 24/12/2020 एवं कंप्लेन केस 35/2021 दिनांक 27/12/2020 सभी में **भारतीय वन अधिनियम 1927 बिहार संशोधन 1989 की धारा 33 का उल्लंघन का आरोप है ।**
- **इसके अलावे वन विभाग द्वारा कंप्लेन केस 3192/2020 दिनांक 20/11/2022 भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33,52 तथा कंप्लेन केस 3221/2022 दिनांक 23/11/2022 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख)(ग़) धारा 63(ग) और पांच हजार सखुआ लकड़ी का पोल काटने के मामले में वन अपराध प्रतिवेदन संख्या 4812 दिनांक 18/09/2024 भारतीय वन अधिनियम 1927 के बिहार संशोधन अधिनियम 1989 की धारा 33,52 के तहत दर्ज वनवाद पर अब तक प्रतिवादी 06 द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है।**
- उपरोक्त मामले के प्रति वन विभाग प्रतिवादी 03 की तरफ से शिथिलता एवं उदासीनता बरती जा रही है या जानबूझकर कार्रवाई नहीं किया गया है । एवं प्रतिवादी 03 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 को **पद का दुरुपयोग एवं निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अवैध कार्य करने में नियमों/कानूनों,माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन एवं अवमानना करते हुए संविधान के अनुच्छेद 48 ए** का भी अवहेलना करते हुए सहयोग किया जा रहा है।

निष्कर्ष और आरोप: प्रतिवादी 03 (वन विभाग) ने कार्रवाई में शिथिलता और उदासीनता दिखाई है या जानबूझकर निजी लाभ के लिए कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है।प्रतिवादी 03 द्वारा प्रतिवादी 04 (एनटीपीसी) को अवैध कार्यों के लिए संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे नियमों, कानूनों, एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है।इस प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 48ए (पर्यावरण संरक्षण) की भी अवहेलना हुई है।Therefore, प्रतिवादी 03 के कार्य में दुरुपयोग पद, निजी स्वार्थ और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों की पुष्टि होती है।

15. FC शर्त 09 के उल्लंघन में प्रतिवादी 01 से लेकर 06 तक के आपसी साठगांठ का मुख्य कारण जिसके लिए प्रतिवादियों ने माननीय न्यायाधिकरण को अपने हलफनामा में जवाब नहीं दिया और विभिन्न स्तरों पर अलग- अलग स्तरों पर अलग अलग तथ्यों पर जवाब देकर गुमराह करते हुए मूल उद्देश्य से भटकाने का कारण ।

1. यह कि प्रतिवादी संख्या 03,04 एवं 06 ने **OA (EZ) 107/2025** में आवेदक के मूल आवेदन के ANNEXURE 2 के कंडिका 6 एवं 7 का वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों को अपने हलफनामा में नहीं दिया. क्योंकि निम्नलिखित कारणों में ही प्रतिवादियों के बीच आपसी सांठगांठ और निजी लाभ का कारण सम्मिलित है । जो इस प्रकार हैं

- जिसमें निदेशक खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 2549/एम० रांची दिनांक 09/10/2018 द्वारा JIMMS प्रणाली के द्वारा जांच में कोयला के ई परिवहन चालान द्वारा एनटीपीसी के पंकरी बरवाडीह खनन परियोजना से बाणादाग साइडिंग तक टू-थ्री मोटर पैसेंजर व मोटर कार से कोयला परिवहन (चालान और वाहन नम्बर सहित) किए जाने की जानकारी देते हुए जिला खनन कार्यालय हज़ारीबारा को पत्र लिखा गया था।
- जिसके बाद जिला खनन पदाधिकारी (हज़ारीबारा) श्री नितेश गुप्ता ने पत्रांक 27/खनन, दिनांक 07 जनवरी 2019 एवं पत्रांक 248/ खनन दिनांक 05/03/2019 को बड़कागांव थाना में फर्जी वाहन/चालान से कोयला परिवहन किए जाने से संबंधित व्यक्तियों/कंपनियों पर सुसंगत नियमों एवं धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
- परंतु छह साल बीत जाने के बाद भी **माननीय सुप्रीम कोर्ट के W.P (Cr) 68/2008 एवं Cri Misc पिटीशन संख्या 1844/2008 ललिता कुमारी एवं उत्तर प्रदेश एवं अन्य के मामले में दिए आदेश का उल्लंघन और अवमानना करते हुए अब तक मामला दर्ज नही किया गया है ।**

2. प्रतिवादी 04 के खिलाफ प्रतिवादी 03 द्वारा transit permit में गड़बड़ियों का जवाब प्रतिवादियों ने माननीय न्यायाधिकरण को नहीं दिया : - यह कि वन विभाग प्रतिवादी 03 ने प्रतिवादी 04 एनटीपीसी के कोयला ट्रांसपोर्टिंग में काफी गड़बड़ियां को पकड़ा था। जो सिर्फ एक बार के औचक निरीक्षण में पकड़ा गया था।(अगर बराबर जांच किया जाता तो कई गड़बड़ी समाने आती)हज़ारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक 3659 दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को एनटीपीसी के अपर महाप्रबंधक कोयला प्रेषण विभाग को पत्र लिखा था। जिसमें एनटीपीसी द्वारा निर्गत किए गए परिवहन अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति (counter file) का दिनांक 30 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021 के कुछ प्रतियों के औचक निरीक्षण में बहुत प्रकार की विसंगतियों को पकड़ा था, जो इस प्रकार है।

(क) परिवहन अनुज्ञा पत्र JHAA112501 से JHAA1125700 तक काटे गए परिवहन अनुज्ञा पत्र आपके पत्रांक 1040/PBCMP/CD/2020/913 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से

प्राधिकृत किया गया कोई भी स्पेसिमेन हस्ताक्षर नही मिलता जो आपके द्वारा लिखे पत्रांक 1040/PBCMP/CD/2020/913 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को अवैध ठहराता है इस प्रकार के कृत्य वन अपराध के श्रेणी में आता है।

(ख) परिवहन अनुज्ञा पत्र के लोडिंग प्वाइंट से डिस्टीनेसन प्वाइंटस की अधिकतम दूरी 30 कि. मी है। इस दूरी के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र मान्य रहने का अधिकतम समय 6 घन्टा होना चाहिए। जबकि कुछ अनुज्ञा पत्रों में अनुज्ञा पत्र मान्य का समय 24 घन्टा से 30 घन्टा तक दिया गया है जो सही नही है। निम्नलिखित अनुज्ञा पत्रों के परिवहन पत्र संख्याJHAA1125667, JHAA1125669 से लगातार JHAA115686 एवं परमिट संख्या JHAA1125692 तक सभी मे 24 घंटा से 30 घन्टा का मान्य समय दिया गया है। जो नियमानुसार सही नही है।

(ग) परिवहन अनुज्ञा पत्र कंडिका 8 में किस प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा परिवहन अनुज्ञा पत्र काटा गया उसका उल्लेख नही होना भी नियमानुकूल नहीं है।

(घ) अनुज्ञा पत्र JHAA1125501 से JHAA115550 में परमिट संख्या JHAA1125501 से JHAA1155528 तक दिनांक 31 अगस्त 2021 को 11:16 AM में काटना एवं बाद के परमिट संख्या JHAA1125528 से 550 तक मे दिनांक 31 अगस्त 2021 को ही 05:04 बजे से काटना विधि सम्मत नही है।

- एक ही तिथि को वाद के परिवहन अनुज्ञा पत्र में पहले का समय देने का औचित्य को बताने को कहा गया था। वन विभाग द्वारा कोई भी विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई और इस तरह की गंभीर गड़बड़ीयों के विरुद्ध कभी कोई औचक निरीक्षण,विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई है।
- **जो प्रतिवादी 03 वन विभाग का प्रतिवादी 04 प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी से निजी स्वार्थ हेतु मिलीभगत की पुष्टि करता है। यही कारण है कि प्रयोक्ता अभिकरण के साथ साथ वन विभाग द्वारा भी माननीय न्यायाधिकरण में भ्रामक एवं गलत हलफनामा दायर किया गया है।**
- **इस स्थिति में, न्यायाधिकरण के समक्ष यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि प्रतिवादियों ने गंभीर साक्ष्य एवं तथ्यों को छुपाया और नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही, संबंधित निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार उचित जांच एवं कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**

16.अदालतों में झूठा,तथ्यों को छुपाते हुए गलत और भ्रामक जवाब दिए जाने के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ।

- अदालतों में झूठे, भ्रामक और तथ्य छुपाते हुए उत्तर देने के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और दृष्टिकोण इस प्रकार हैं,जैसा कि प्रतिवादी 03,04 और 06 ने माननीय न्यायाधिकरण से छुपाया है । जिसका विवरण

साक्ष्यों और तथ्यों का छुपाना:

1. उपरोक्त वर्णित तथ्य स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 03, 04 एवं 06 ने न्यायाधिकरण में प्रस्तुत अपने हलफनामों में महत्वपूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्यों का कहीं उल्लेख नहीं किया। यह जानबूझकर अपनी आपसी सांठगांठ और निजी लाभ के लिए तथ्यों को छुपाने का मामला है।
2. सुप्रीम कोर्ट का आदेश (SUO-MOTU CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO.3 OF 2021 dated 11.07.2022):
3. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि झूठे हलफनामे या बयान देना न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आता है।
4. जिन लोगों द्वारा अदालत में झूठी जानकारी या भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, वे न्याय प्रणाली पर असर डालते हैं और अदालत की प्रक्रिया का अपमान करते हैं।
5. इस आदेश में न्यायमूर्ति यू यू ललित एवं न्यायमूर्ति पी एस नरसिंह की पीठ ने माना कि झूठे हलफनामे दाखिल करना अपराध है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
6. **विधिक दृष्टिकोण:** इस प्रकार का व्यवहार अदालत में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है और इसीलिए इसे न्यायालय की आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt of Court) माना गया है।
    1. सुप्रीम कोर्ट ने ABCD बनाम भारत संघ (Union of India) 2019 मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि झूठा बयान देना और न्यायालय को धोखा देना न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करता है एवं अवमानना की श्रेणी में आता है।न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अवमानना का प्रावधान लागू करना न्यायालय का दायित्व है।
    2. प्रतिवादियों द्वारा दायर झूठे हलफनामे न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडनीय हैं।
    3. साथ ही, यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 229 (न्यायालय की अवमानना) और धारा 236 (न्यायालय की अवमानना की दंडात्मक प्रावधान) का उल्लंघन भी है।
    4. इस प्रकार, अदालत में झूठ बोलना, महत्वपूर्ण तथ्य छुपाना और भ्रामक हलफनेमा प्रस्तुत करना एवं माननीय न्यायालयों के आदेश का अवहेलना करना,न केवल न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि इसका संज्ञेय एवं अपराधिक दंडनीय अपराध का कृत्य भी होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया है और संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

17. प्रतिवादी 04 द्वारा FC शर्त 08 का उल्लंघन कर खनन मामले में प्रतिवादी 04 और 03 के सांठगांठ पर अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड की रिपोर्ट ।

- यह कि FC शर्त 08 का उल्लंघन कर जीवन रेखा नाला को प्रतिवादी 04 द्वारा 156 हेक्टेयर एरिया में खनन कर दिया गया। उक्त खनन के दोषियों को बचाने के लिए प्रतिवादी 03 द्वारा सरकार के आदेशों/शर्तों का गलत व्याख्या कर प्रतिवादी 04 को बचाने के लिए सरकार को मेरे(आवेदक) द्वारा प्रतिवादी 04 शिकायत किए जाने के बाद **प्रयोक्ता अभिकरण प्रतिवादी 04 के अधीन खनन कार्य कर रहे कंपनी त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी ने प्रलोभन देकर आवेदक (मुझे) मैनेज करने का प्रयास किया गया था।**
- **जिसकी पुष्टि मेरे शिकायत पर प्रतिवादी 03.प्रतिवादी 04 के विरुद्ध शिकायत पर अपराध अनुसंधा विभाग ,रांची ने झारखंड सरकार को कार्रवाई हेतु भेजे गए अपने जांच प्रतिवेदन में किया है ।**
- **अपराध अनुसंधान विभाग ने झारखंड सरकार को कार्रवाई के लिए भेजे अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवादी 03 एवं प्रतिवादी 04 के मिलीभगत से परियोजना अंतर्गत 20 से 30 मीटर औसत चौड़ी दुमुहानी नाला को खनन पट्टा के FC शर्तों के विपरीत उल्लंघन करते हुए अवैध खनन कर उसकी चौड़ाई महज चार से पांच मीटर कर दिया गया और उसके प्रवाह को अभी तक बाधित कर रखा गया है। और उसके बचाव के लिए निजी लाभ प्राप्त कर आपसी सांठगांठ कर प्रतिवादी 03 द्वारा** फर्जी रिपोर्ट बनाए जाने की पुष्टि झारखंड सरकार को कार्रवाई के लिए अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भेजे गए रिपोर्ट में किया गया है ।
- अपराध अनुसन्धान विभाग की जांच रिपोर्ट में प्रतिवादी 04 को बचाने के लिए प्रतिवादी 03 ने अपने पहले रिपोर्ट को बदलकर दूसरी रिपोर्ट दिया था।
- अपराध अनुसन्धान विभाग के रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि किया गया था कि प्रतिवादी 03 ने प्रतिवादी 04 को संरक्षण देने के लिए झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग के शर्तों के बिंदुओं को भी छिपाकर गलत व्याख्या करते हुए रिपोर्ट बनाया था।

(प्रतिउत्तर के अनुलग्नक 11)

18. निजी लाभ के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980,वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 गलत एवं भ्रामक तथ्य तथ्य प्रस्तुत कर माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण एनटीपीसी सहित सभी प्रतिवादियों ने कानूनों,नियमों,शर्तों एवं आदेशों का उल्लंघन एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायाधिकरण के ,किया,जिसकी पुष्टि का विवरण निम्न है।

❖ **यह कि प्रतिवादी 04 जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। जिनसे कानूनों,आदेशों एवं नियमों के अनुपालन के बेहतर अनुपालन की अपेक्षा होनी चाहिए लेकिन इसके अधिकारियों ने भारत सरकार की कंपनी के नाम का सहारा लेकर निजी लाभ के लिए उसका निर्मतता से उल्लंघन किया जाता रहा है । जो इस प्रकार है।**

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 की स्टेज-2 फॉरेस्ट क्लियरेंस (FC) शर्त संख्या 09 एवं वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन किया ।

- यह शर्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 17.09.2010 द्वारा प्रतिवादी 04 को जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना में कोयला परिवहन केवल उच्च गति वाले 20 मीटर चौड़े और 6 मीटर कन्वेयर बेल्ट से किया जाना अनिवार्य था। इसका उद्देश्य वन्य जीवों, विशेषकर हाथियों, को आवागमन में बाधा न पहुँचने देना था।
- उक्त शर्त के विपरीत, एनटीपीसी द्वारा नवंबर 2022 से कन्वेयर प्रणाली पूरी तरह चालू होते हुए भी, सड़क मार्ग के माध्यम से कोयला परिवहन जारी रखा गया, जिससे न केवल वन्य जीवों का आवागमन बाधित हुआ बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन व मानवीय जनहानि (दर्जनों मौतें) हुईं। यह उल्लंघन कृत्य स्पष्ट और निर्मम है।

2. FC और पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) में विधि-वैधानिक भेद एवं EC शर्त संशोधन का भी दुरुपयोग ।

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत FC की शर्तें वन एवं वन्य जीव संरक्षण को केन्द्रित करती हैं जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत EC जारी की जाती है। दोनों की शर्तें विधि और उद्देश्यों में भिन्न हैं और दोनों का पृथक अनुपालन सख्त आवश्यक है।
- एनटीपीसी ने EC के लिए जारी संशोधन का बचाव FC शर्त संख्या 09 के उल्लंघन में कर FC के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया। यह दुरुपयोग न केवल कानून विरोधी है, बल्कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति अनादर भी दर्शाता है।
- एनटीपीसी प्रतिवादी 04 ने जो कारण बताते हुए EC के लिए संशोधन MoEF Cc से संशोधन जारी करवाया उसका भी उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि EC के दसवां संशोधन खनन स्थल से रेलवे साइडिंग तक सड़क परिवहन की अनुमति नहीं देता है। जो FC शर्तों की जगह देकर FC के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया। यह दुरुपयोग न केवल कानून विरोधी है, बल्कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति अनादर भी दर्शाता है।

3.माननीय न्यायाधिकरण से झूठे तथ्य प्रस्तुत करना एवं साक्ष्य को दबाना-

- झारखंड विधानसभा में प्रतिवादी 03 एवं 04 की ओर से यह कहा गया कि कन्वेयर प्रणाली अभी पूर्णतया सक्रिय नहीं हुई है एवं FC उल्लंघन के जवाब में EC मेमोरेंडम के तहत जवाब दिया ।
- जबकि RTI और विभागीय अभिलेखों से स्पष्ट है कि कन्वेयर नवंबर 2022 से चालू था। प्रतिवादियों द्वारा वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय और एनटीपीसी द्वारा जांच रिपोर्टें जानबूझकर छुपाया गया ।
- जैसे कि प्रतिवादी 02 के 25 नवंबर 2022 की MOEF&Cc क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट और प्रतिवादी 03 के 27 फरवरी 2025 की दो सदस्यीय जांच रिपोर्ट, जिसमें FC शर्त 09 के उल्लंघन का पुष्टि किया गया था ।जिसे माननीय न्यायाधिकरण से जानबूझकर छुपाया गया।
- यह साक्ष्य दमन न्याय प्रक्रिया में विघ्न एवं आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आता है।

4.संविधान एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उल्लंघन एवं गुमराह करना -

- यह कि प्रतिवादियों ने अनुच्छेद 48(a) 51(a)(g) एवं अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है। क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुपालन में विफलता ने मानव-वन्य जीव द्वंद में जानमाल का काफी नुकसान किया है।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना में कन्वेयर निर्माण के लिए समय सीमा निर्धारित की (अक्टूबर 2023 तक पूर्ण करना था)। एनटीपीसी ने इसे नवंबर 2022 में पूरा कर लिया था, परंतु इसके बाद भी FC शर्त 09 जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के लिए अनिवार्य था,उसका निर्मितता से उल्लंघन कर सड़क परिवहन जारी रखा और कोर्ट को भ्रामक सूचना देकर पुनः संशोधन आदेश लिया ।
- उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Miscellaneous Application No. 1824/2023 in C.A. No. 6249/2021 आधार पर दिनांक 29.01.2024 को 31 दिसंबर 2024 तक का कन्वेयर सिस्टम बना लेने का आदेश प्राप्त किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाकर Moef &Cc से शर्त संशोधन लेकर सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन किया जा रहा है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने तथा झूठे हलफनामे दायर करने के कारण यह कृत्य अवमानना के दायरे में आता है।
- यह कि प्रतिवादियों द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के **Animal Welfare Board vs. A. Nagaraja (2014)** मामले में दिए आदेश का अनुपालन करने में विफल रही है और इसका उल्लंघन निजी लाभ के लिए कर रहे है।
- यह कि प्रतिवादियों ने **सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य** एवं अन्य, 9 जनवरी, 1991 के आदेश का अनुपालन करने में विफल और उसका उल्लंघन निजी लाभ के लिए किया जा रहा है।

- यह कि प्रतिवादियों द्वारा **T.N. Godavarman Thirumulpad vs. Union of India (1997)** के आदेश का अनुपालन करने में विफल और उसका उल्लंघन निजी लाभ के लिए किया जा रहा है।
- यह कि प्रतिवादियों द्वारा **MC Mehta vs. Union of India (1987)** मामले के आदेश का अनुपालन करने में विफल और उसका उल्लंघन निजी लाभ के लिए किया जा रहा है।
- यह कि प्रतिवादी 04 पर उसके प्रभाव के कारण Lalita Kumari vs. State of UP (2014) के आदेश का उल्लंघन कर मामला दर्ज नहीं किया गया है।

5. वन भूमि पर अवैध कटाई एवं प्रशासनिक शिथिलता - वन भूमि में पेड़ काटकर सड़क मार्ग का विस्तार और कोयला परिवहन हेतु अनुमति के बिना या अनुचित परमिट जारी किए जाना वन अपराध है। कई कंप्लेन (29/33/35/2021 आदि) और एफआईआर दर्ज हैं, पर वन विभाग की उदासीनता और मिलीभगत इस अपराध को जारी रखने में सहायक बनी है। इससे न केवल पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण प्रभावित हुए हैं, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को भी उजागर करता है।

6. मानवीय और पारिस्थितिक दुष्प्रभाव :- सड़क मार्ग से कोयला परिवहन ने वन्य जीवों के आवागमन को बाधित किया है। विशेषत: हाथियों के भटकाव की घटनाएं बढ़ीं हैं, जिससे वन्य जीव-मानव संघर्ष और जनसमुदाय में भय का माहौल उत्पन्न हुआ है।साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं में दर्जनों निर्दोष नागरिकों की मौत हुई, जो वन व पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित संवैधानिक कर्तव्यों की उपेक्षा का परिणाम है।

19. माननीय न्यायाधिकरण से प्रतिवादी 03.04 एवं 06 पर के लिए अनुरोध/प्रार्थना

प्रार्थी की ओर से सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि प्रतिवादी पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए हलफनामे कथित रूप से झूठे होने के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों एवं माननीय न्यायालयों के विचारों के प्रकाश में निम्नानुसार आग्रह किया जाता है:

1. सुप्रीम कोर्ट का आदेश (SUO-MOTU CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO.3 OF 2021 dated 11.07.2022),माननीय सुप्रीम कोर्ट ABCD बनाम भारत संघ (Union of India) 2019 माननीय सुप्रीम कोर्ट धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2 मई, 1995 आदि मामलों के आदेशों/विचारों के आलोक में अपराधिक अवमानना की कार्रवाई किया जाए।
2. प्रतिवादियों द्वारा दायर झूठे हलफनामे न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडनीय हैं।
3. साथ ही, यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 229 (न्यायालय की अवमानना) और धारा 236 (न्यायालय की अवमानना की दंडात्मक प्रावधान) का उल्लंघन भी है।
4. प्रतिवादियों पर BNS की धारा 379 के तहत कार्रवाई ।

5. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मामले में भारत सरकार,कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या - F No 228/58-2023-AVD III के आलोक में सीबीआई से जांच कराया जाए।
6. प्रतिवादी 04 का MoEF & Cc से प्राप्त (FC) (EC) स्वीकृति/मंजूरी रद्द किया जाए।
7. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का पालन करवाया जाए ।
8. प्रतिवादी 04 को मानव- वन्य जीव के संरक्षण के लिए तत्काल सड़क मार्ग से कोयला परिवहन बंद करवाया जाए।
9. प्रतिवादी 04 पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई किया जाए। क्योंकि EC शर्त में संशोधन के कारणों के विपरीत उनके द्वारा पूरे रास्ते से सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है।
10. प्रतिवादी 04 पर BIO DIVERSITY Act 2002 के तहत कार्रवाई किया जाए

अतः, माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि प्रतिवादी 04 जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। जिनसे **कानूनों,आदेशों एवं नियमों के अनुपालन के बेहतर अनुपालन की अपेक्षा होनी चाहिए लेकिन इसके अधिकारियों ने भारत सरकार की कंपनी के नाम का सहारा लेकर निजी लाभ के लिए उसका निर्मतता से उल्लंघन किया जाता रहा है**। उपर्युक्त सभी बिंदुओं के आधार पर आवश्यक निर्देश जारी करते हुए, घटना की गहन जांच कर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। माननीय न्यायालय से उपयुक्त आदेश की प्रार्थना है।

आवेदक

मंटू सोनी उर्फ शनिकांत

मंटू सोनी उर्फ शनि कांत

पिता श्री राजेश कुमार

बड़कागांव, जिला-हजारीबाग(झारखंड)

पिन कोड - 825311

मो० 9504268699

ईमेल- - shanikant699@gmail.com

दिनांक 06/12/2025

सेवा में

लोक सूचना पदाधिकारी (**I.A Division**) वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली ।

विषय - सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन ।

महाशय

सविनय लोक सूचना पदाधिकारी महोदय से निवेदन है कि सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुझे निम्न बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराया जाए।

1. यह कि मेरे द्वारा ईमेल के माध्यम से दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को सचिव,वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार से किए गए शिकायत पर हुई कार्रवाई/पत्राचार की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए।
2. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (कोलकाता) के **अपील संख्या 20/2023/EZ (मूल आवेदन संख्या 63/2023/EZ के दिनांक 21 जनवरी 2025 के आदेश** के आलोक में लिए गए निर्णय/कार्रवाई की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए ।
3. झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.05.2009 को दिए गए पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के Specific Condition No.- 2A (ix) को एनटीपीसी को मिले FOREST CLEARANCE (FC) स्टेज 2, F.No 8-56/2009-FC दिनांक- 17.09.2010 के शर्त संख्या 9 में भी मान्य/लागू होने से संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी पत्र/मेमोरेंडम या नियमावली की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए ।
4. झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में **एनटीपीसी के चट्टी बरियातू एवं केरेडारी कोल परियोजना** हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनटीपीसी को **सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने** हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के (EC) शर्त में वर्ष 2025 में हुए संशोधन से संबंधित पत्र एवं उसके निर्णय के लिए हुए मीटिंग/फाइल नोटिंग के विवरण का सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध किया जाए ।
5. झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल परियोजना एवं केरेडारी कोल परियोजना तथा पकरी बरवाडीह कोल परियोजना हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के (EC) के शर्तों का अनुपालन रिपोर्ट और जांच **(compliance report & audit)** का सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए।

नोट - मेरे द्वारा मांगी गई सूचना वेबसाइट/परिवेश पोर्टल में सर्च करने पर नहीं मिला/देखा जा सका । इसलिए लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया जाए कि सम्बन्धित सूचना वेबसाइट/परिवेश पोर्टल पर देखी जा सकती है। ऐसा कहने पर यह माना जाएगा कि जानबूझकर पद का दुरुपयोग कर,संबंधित पक्षों से संपर्क कर,उनके

प्रभाव में आकर सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसे बतौर सबूत/आरोप प्रयोग किया जा सकता है।

अतः जनसूचना पदाधिकारी महोदय से उम्मीद है कि आप अपने कर्तव्यों दायित्वों का निष्पक्षता से निर्वहन करते हुए मुझे मेरे द्वारा मांगी गई सूचना एवं सूचना से सम्बंधित शुल्क आदि की सूचना मुझे मेरे मेल आईडी **shanikant699@gmail.com** पर उपलब्ध कराएंगे। जिसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा।

आपका विश्वासी

शनि कांत उर्फ मन्टु सोनी

शनि कांत उर्फ मंटू सोनी
पिता श्री राजेश कुमार
बड़कागांव, जिला हजारीबाग (झारखंड)
पिन - 825311
मो० - 9504268699
मेल आईडी - shanikant 699@gmail.com

Select Language: English
Public Authorities Available
RTI Online
Version 2.0
An Initiative of Department of Personnel & Training, Government of India

Enter OTP (ओटीपी दर्ज करें)

OTP has been sent to the Email address.

Enter Registration Number	MOENF/R/E/25/01465/1
Name	Shani kant
Received Date	02/10/2025
Public Authority	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Status	REQUEST DISPOSED OF
Date of action	17/10/2025
Reply :- Kindly refer to your application made under RTI Act, 2005. In this connection, it is to inform the following information: 1. Information related to point No. (1) of your application has already been provided by the CPIO on 21.04.2025 (copy enclosed) in response of RTI application No. MOENF/R/E/25/00365. There is no change in the status of the information. 2. Information in respect of point No. 2 has already been furnished by the CPIO on 21.04.2025. Subsequent information for the duration 21.04.2025 to 17.10.2025 is available in the public domain and the same may kindly be accessed at https://forestsclearance.nic.in/search.aspx by following the path as mentioned below: Steps involved to access details of proposals: https://parivesh.nic.in/ ---- Login tab ---- Login PARIVESH 1.0 ----- Track Your Proposals ---- PARIVESH 1.0 (Proposals received upto 14th July 2014) ---- Enter Proposal Number/area/keyword/File number ---- Proposal Number ---- Search. (Login is not required) The CPIO, under the RTI Act, is required to furnish information/documents as available on record and is not supposed to collect and collate information in the manner it is sought by the applicant. 3. No information in respect of point no. 3 of RTI application is available in the Forest Conservation Division. 4. As regard to point no. 4 and 5, the application has already been forwarded to the concerned CPIO of IA Division of the Ministry to furnish information directly to the applicant.	
View Document	
CPIO Details :-	Charan Jeet Singh (FC) Phone: 011-24695459 c[dot]jsingh1[at]gov[dot]in
First Appellate Authority Details :-	S[dot]Sundar (FC) Phone: 011-20819310 am207[at]ifs[dot]nic[dot]in
Nodal Officer Details :-	
Telephone Number	011-24695302
Email Id	us[dot]rti-mef[at]nic[dot]in

Print RTI Application

Print Status Go Back

Copyright © 2025. All rights reserved | Website designed, developed, and hosted by National Informatics Centre, New Delhi | Content owned and managed